

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

संख्या: 6418597

दिनांक 17 अक्टूबर, 2026

सं०सं०:BI-558/13/2026-SEC_01-BRDS

विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 (2025 का अधिनियम संख्या 36) की धारा 6(2) एवं 6(3) के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या 5773433, दिनांक 16.06.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कृषि-जलवायु क्षेत्रवार चरम कृषि मौसम अधिसूचित किया गया है। इसके अंतर्गत दिनांक 22.10.2026 से 10.12.2026 तक की अवधि (खरीफ कटनी एवं रबी बुआई) में अधिनियम की धारा 6(1) के अनुसार योजना अंतर्गत कोई भी कार्य प्रारंभ अथवा कार्यान्वित नहीं किया जाना है।

2. इस वर्ष राज्य के 22 जिले भीषण बाढ़ से प्रभावित हैं। आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के प्रतिवेदन के अनुसार इन जिलों में खरीफ फसल की व्यापक क्षति के कारण कटनी हेतु कृषि श्रमिकों की माँग नगण्य रह गई है तथा खेतों में जल-जमाव के कारण रबी की बुआई विलंबित होगी, फलतः अधिसूचित अवधि में कृषि कार्यों में श्रम-नियोजन की संभावना अत्यंत सीमित है। प्रभावित ग्रामीण परिवारों, विशेषकर भूमिहीन श्रमिक परिवारों, के समक्ष आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़कें एवं सामुदायिक परिसंपत्तियाँ क्षतिग्रस्त हुई हैं।

3. दूसरी ओर, राज्य के शेष 16 जिलों में इस वर्ष सामान्य से कम वर्षापात होने के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इन जिलों में खरीफ फसल का आच्छादन एवं उत्पादन प्रभावित हुआ है तथा मिट्टी में नमी की कमी के कारण रबी बुआई भी सीमित रहने की संभावना है। फलस्वरूप इन जिलों में भी अधिसूचित अवधि में कृषि कार्यों में श्रम-नियोजन के अवसर अत्यंत सीमित हैं तथा ग्रामीण परिवारों के समक्ष आजीविका की समस्या एवं पलायन की आशंका उत्पन्न हो गई है। इन जिलों में जल संरक्षण एवं जल संचयन संरचनाओं के निर्माण की तत्काल आवश्यकता भी है।

4. स्पष्ट है कि विकसित भारत - जी राम जी अधिनियम, 2025 की धारा 6 का उद्देश्य, अर्थात् चरम कृषि मौसम में कृषि श्रमिकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना, बाढ़ एवं सुखाड़ जैसी परिस्थितियों के कारण राज्य के सभी 38 जिलों में इस अवधि में प्रासंगिक नहीं रह गया है। इसके विपरीत, कार्य-विराम लागू रहने से ग्रामीण परिवार उस समय मजदूरी रोजगार से वंचित हो जाएंगे जब उन्हें इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है।

5. अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में, अधिनियम की धारा 7(2) के अंतर्गत भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय की सहमति की प्रत्याशा में, राज्य सरकार अधिसूचना संख्या 5773433, दिनांक 16.06.2026 द्वारा दिनांक 22.10.2026 से 10.12.2026 तक के लिए अधिसूचित चरम कृषि मौसम (कार्य-विराम अवधि) का राज्य के सभी 38 जिलों में, जिनकी सूची निम्नवत है, शिथिलीकरण करती है:

(क) बाढ़ प्रभावित जिले - 22

क्र०	जिला	क्र०	जिला
1	अरवल	12	मुंगेर
2	बेगुसराय	13	मुजफ्फरपुर
3	भागलपुर	14	पश्चिम चंपारण
4	भोजपुर	15	पटना
5	बक्सर	16	पूर्वी चंपारण
6	दरभंगा	17	पूर्णिया
7	गोपालगंज	18	सहरसा
8	कटिहार	19	समस्तीपुर
9	खगड़िया	20	सारण
10	लखीसराय	21	सुपौल
11	मधेपुरा	22	वैशाली

(ख) कम वर्षापात / सुखाड़ जैसी स्थिति वाले जिले - 16

क्र०	जिला	क्र०	जिला
1	अररिया	9	मधुबनी
2	औरंगाबाद	10	नालंदा
3	बांका	11	नवादा
4	गयाजी	12	रोहतास
5	जमुई	13	शेखपुरा
6	जहानाबाद	14	शिवहर
7	कैमूर	15	सीतामढ़ी
8	किशनगंज	16	सीवान

6. शिथिलीकरण की अवधि में उक्त सभी जिलों में अधिनियम एवं योजना के प्रावधानों के अनुसार, जॉब कार्डधारी परिवारों की मांग पर, अनुमान्य कार्य प्रारंभ एवं कार्यान्वित किए जा सकेंगे। बाढ़ प्रभावित जिलों में अधिनियम की अनुसूची-I की कंडिका 4(2)(घ) में वर्णित श्रेणी-IV के कार्य, यथा आपदा-पश्चात पुनर्वास, ग्रामीण सड़कों एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापन, तटबंध एवं जल-निकासी संबंधी कार्य, तथा सुखाड़ जैसी स्थिति वाले

जिलों में जल संरक्षण, जल संचयन एवं सिंचाई संबंधी कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिए जाएंगे।

7. यह अधिसूचना ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति की प्रत्याशा में निर्गत की जा रही है।

8. इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

9. यह अधिसूचना दिनांक 22.10.2026 से प्रभावी होगी।

राज्यपाल के आदेश से

११/१०/२६

(एच० आर० श्रीनिवास)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

जापांक : 6418597

दिनांक 11 अक्टूबर, 2026

सं०सं०:BI-558/13/2026-SEC_01-BRDS

प्रतिलिपि: ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

११/१०/२६

सरकार के अपर मुख्य सचिव

जापांक : 6418597

दिनांक 11 अक्टूबर, 2026

सं०सं०:BI-558/13/2026-SEC_01-BRDS

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार सरकार / समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव/ समस्त विभागाध्यक्ष/ समस्त प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

११/१०/२६

सरकार के अपर मुख्य सचिव

जापांक : 6418597

दिनांक 11 अक्टूबर, 2026

सं०सं०:BI-558/13/2026-SEC_01-BRDS

प्रतिलिपि: आयुक्त, वीबी-जी राम जी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

११/१०/२६

सरकार के अपर मुख्य सचिव

जापांक : 6418597

सं०सं०:BI-558/13/2026-SEC_01-BRDS

दिनांक 17 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि: आई०टी० प्रबंधक, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोडिंग हेतु प्रेषित।

17/10/26

सरकार के अपर मुख्य सचिव

जापांक : 6418597

सं०सं०:BI-558/13/2026-SEC_01-BRDS

दिनांक 17 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि: सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17/10/26

सरकार के अपर मुख्य सचिव